

राज्य महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ  
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : 19 / 8-2/4 / MGNREGS / 2020-26 दिनांक : 27 अप्रैल, 2026

शुद्धि पत्र

प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत लोकपाल का चयन/नवीनीकरण एवं लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों के चयन/नवीनीकरण हेतु दिनांक 28 जनवरी 2026 को आहूत लोकपाल चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या 556 दिनांक 10 फरवरी 2026 द्वारा जारी किया गया था।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 4 "लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का चयन" में लिपिकीय त्रुटिवश सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि (सामाजिक कार्य) के स्थान पर शिक्षाविद् श्रेणी तथा शिक्षाविद् के स्थान पर सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि (सामाजिक कार्य) अंकित हो गई है।

अतः कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 4 के क्र०सं० 1 की श्रेणी शिक्षाविद् को सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि (सामाजिक कार्य) तथा क्र०सं० 2 की श्रेणी सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि (सामाजिक कार्य) को शिक्षाविद् पढ़ा जाय।

कार्यवृत्त उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यवृत्त के अन्य बिन्दु यथावत् रहेंगे।

(अनुराधा माल)

अपर सचिव, ग्राम्य विकास

संख्या .....19..... / 8-2/4 / MGNREGS / 2020-26 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती दीक्षा सुप्याल बिष्ट, सहायक आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. श्री राजकिशोर मिश्रा, रूपायान, कालाहांडी उड़ीसा।

(अनुराधा माल)

अपर सचिव, ग्राम्य विकास